



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

No.N-15015/01/2023-P&D

Dated: 01.04.2025

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : एसिक 2.0/विज़न-2022 के अंतर्गत राज्य-वार अधिसूचित / गैर-अधिसूचित जिलों की अद्यतन सूची (दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार) / State wise updated list of notified/non-notified districts under ESIC 2.0/Vision-2022 (As on 01.04.2025)।

मुख्यालय की वेबसाइट लिंक सं. 16350/2024 दिनांक 21.03.2024 पर अपलोड किए गए पूर्व परिपत्र दिनांक 18.03.2024 के अनुक्रम में अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है / In continuation to previous Circular of even no. dated 18.03.2024 uploaded on ESIC website www.esic.nic.in link no. 16350/2024 on 21.03.2024, the present status of notified districts of ESI Scheme is as under :-

क) राज्य-वार अधिसूचित जिलों की स्थिति (दिनांक 01.04.2025 तक) / State wise status of notified districts as on 01.04.2025 is as under:-

i	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां संपूर्ण क्षेत्र अधिसूचित है / No. of States/UT's whose entire area is notified	18
ii	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां आंशिक क्षेत्र अधिसूचित है / No. of States/UT's where the Scheme is partially notified	18

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार अधिसूचित / गैर-अधिसूचित जिलों की जिलेवार अद्यतन सूची अनुलग्नक-ए पर संलग्न है। / The consolidated status of district wise notification in respect of above is enclosed as Annexure-A.

ख. अधिसूचित जिलों की सूची इस प्रकार है / The Summary of Notified Districts is as under :-

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	584
आंशिक रूप से क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	103
कुल अधिसूचित जिले / Total notified districts	687
गैर अधिसूचित जिले / Total Non-notified districts	91
कुल जिलों की संख्या / Total number of districts	778

संलग्नक - यथोपरि

**Joint Director
Planning & Development Branch**

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. प्रधान निजी सचिव (महानिदेशक/वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त) को सूचनार्थ ।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप निदेशक (जन संपर्क शाखा) को मुख्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।